माननीय अध्यक्ष महोदय,

हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत करने में जहाँ मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, वहीं जनता द्वारा व्यक्त अपार विश्वास के समक्ष नतमस्तक हूँ। जनता का यह विश्वास एवं अपेक्षाएं हमारे लिये नई चुनौतियाँ लेकर आयी हैं। इन चुनौतियों का मुझे पूरा एहसास है और मैं सदन को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि नई सोच, प्रबल इच्छाशक्ति एवं कारगर रणनीति के साथ इन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने में हम सफल होंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि जिस व्यापक परिकल्पना और महान स्वप्न के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, उसे साकार करने में भी हम कामयाब होंगे। यही हमारा संकल्प है।

2. संसदीय लोकतंत्र पर आस्था बनाये रखने की पहली शर्त है कि चुनावों के दौरान जो वायदे किए जाते हैं, उन्हें सरकार बनने पर अमलीजामा पहनाया जाए। हमने विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश के गरीब, किसान, कामगार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के विकास के अनेक वायदे किए थे। इस बजट में उन वायदों को पूरा करने की सार्थक पहल की गई है।

3. ये एक संयोग है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, मिलेनियम डेव्हलपमेंट लक्ष्य और हमारी सरकार की दूसरी पारी का कार्यकाल एक–दूसरी की उंगली पकड़े चलते रहेंगे। यहाँ मैं यह स्मरण कराना चाहूँगा कि पिछले बजट में जिन ''मिलेनियम डेव्हलपमेंट'' लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प हमने किया था, उसे साकार करने की राह पर हम चलते रहेंगे। इसके लिये समयबद्ध कार्यक्रम तय किये जायेंगे और सतत् निगरानी व्यवस्था कायम की जाएगी।

4. मुझे यह भी एहसास है कि हमारे इस संकल्प को वैश्विक आर्थिक मंदी के कठिन दौर से गुजरना होगा। इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी कोई बड़ी आर्थिक उथल–पुथल होती है, तो उसकी सबसे गहरी मार गरीब तथा आर्थिक

दृष्टि से कमजोर वर्ग को झेलनी पड़ती है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के इस कटु यथार्थ को ध्यान में रखते हुये ही हमनें अपने बजट की प्राथमिकतायें तय की हैं। मुझे उम्मीद् है कि बेहतर प्रबंधन और आर्थिक अनुशासन से हम इस संकट से उबर सकेंगे।

आर्थिक स्थिति

5. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा। वर्ष 2007–08 के लिये स्थिर भावों (1999–2000) पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का आंकलन 45,086 करोड़ है, **जो कि वर्ष 2006–07 के 41,506 करोड़ की तुलना में 8.63 प्रतिशत अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र में यह वृद्धि 4.57, द्वितीयक क्षेत्र में 13.52 तथा सेवा क्षेत्र में 9.27 प्रतिशत रही।**

5.1 इसी अवधि में प्रचलित भावों पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 68,036 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 2006–07 के 57,806 करोड़ की तुलना में 10,230 करोड़ अधिक है। विगत वर्षों की तुलना में प्रदेश की यह वृद्धि अधिक होने का मुख्य कारण अच्छी वर्षा से कृषि उत्पादन एवं मेन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि होना है।

5.2 **वर्ष 2007–08 में प्रति व्यक्ति आय 25,360 रुपये है, जो कि वर्ष 2006–07 की प्रति व्यक्ति आय 21,822 रुपये की तुलना में 16.21 प्रतिशत अधिक है।**

5.3 वर्ष 2008–09 में कृषि क्षेत्र में 1.10 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में 9.41 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 9.46 प्रतिशत वृद्धि संभावित है। **उपरोक्त स्थिति को देखते हुये वर्ष 2008–09 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.69 प्रतिशत वृद्धि संभावित है तथा प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर 29,621 रुपये अनुमानित है।**

<u>खाद्य सुरक्षा</u>

कवि नीरज ने चेतावनी के स्वर में कहा है,

''भूखे पेट को राजनीति सिखलाने वालों,
पेट की भूख इंसान को बेज़ार बना देती है।''

6. अध्यक्ष महोदय, हमारे सतत् प्रयासों से गरीबी से जुड़े कुपोषण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फिर भी मिलेनियम डेव्हलपमेंट लक्ष्य प्राप्त करने के लिये हमें लंबा सफर तय करना होगा। चालू वित्तीय वर्ष की तरह इस बजट में भी खाद्य सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में हमने प्रदेश के 37 लाख परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो की न्यूनतम दर पर चावल तथा 25 पैसे प्रति किलो की दर से आयोडीन नमक उपलब्ध कराने की योजना लागू की थी। **अब अपने चुनावी वायदों के अनुरूप 7 लाख अंत्योदय परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो तथा शेष 30 लाख परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से चावल तथा बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क आयोडीन नमक उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं के लिये बजट में 1458 करोड़ का प्रावधान है।**

6.1 खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विशेष महत्व है। इसे चुस्त बनाने के लिये हमारी सरकार द्वारा अनेक प्रभावी कदम उठाये गये हैं। अब इसे और अधिक जवाबदेही बनाया जाएगा।

6.2 इसके साथ ही चुनावी घोषणा के अनुरूप **महिलाओं को नवीन गैस कनेक्शन पर 100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।**

शिक्षा

7. पूर्व वर्षों की भांति इस बजट में भी मानव संसाधन के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। **शिक्षा के लिये चालू वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 40 प्रतिशत वृद्धि करते हुये 3,576 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि कुल बजट का 16 प्रतिशत है।**

7.1 शिक्षकों की कमी की पूर्ति के लिये विगत वर्षों में हमारी सरकार द्वारा 55 हजार शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति की गई थी एवं चालू वित्तीय वर्ष में स्कूल शिक्षा विभाग के लिये पुनरीक्षित सेटअप स्वीकृत किया है, **जिसके अंतर्गत 35 हजार अतिरिक्त पद शामिल किये गये हैं।**

7.2 शाला त्याग दर में कमी लाने में मध्यान्ह भोजन योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। **इस योजना हेतु प्रचलित प्रावधान, 2.50 रुपये प्रति छात्र में वृद्धि करते हुये 3 रुपये प्रति छात्र की जायेगी, जिसके लिये बजट में 50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।**

7.3 अध्यक्ष महोदय, भवनविहीन शालाओं की समस्या के निदान को प्राथमिकता देते हुये चालू वित्तीय वर्ष के बजट में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला भवनों की आवश्यकता की शतप्रतिशत पूर्ति की गई है। लेकिन अभी भी प्रदेश की 225 उच्चतर माध्यमिक शालायें भवनविहीन हैं। अधोसंरचना की इस कमी को दूर करने **हेतु बजट में 100 उच्चतर माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण के लिये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2011 तक समस्त स्कूलों के लिये भवन उपलब्ध करा दिये जायें।**

7.4 प्राथमिक शिक्षा हेतु संचालित सर्वशिक्षा अभियान की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिये भारत सरकार द्वारा **''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान''** प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसके राज्यांश बाबत् इस बजट में 100 करोड़ का प्रावधान है।

7.5 इस वर्ष 9 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का हाई स्कूल में तथा 17 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जायेगा।

7.6 शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये ''श्रेष्ठ पालकत्व'' कार्यक्रम तथा पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बच्चों की उपस्थिति नियमित करने के लिये पालकों में जागृति लाने हेतु ''जनपहल कार्यक्रम'' लागू किया जाएगा, जिसके लिये बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

7.7 आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिये ''शालेय पूर्व शिक्षा'' कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इसके लिये शैक्षणिक सामग्री प्रदाय एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण बाबत् बजट प्रावधान किया गया है।

7.8 प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु विगत 5 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा 38 नवीन आई.टी.आई. एवं 9 नवीन पॉलीटेक्निक प्रारम्भ की गई है, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में है। इसी क्रम को जारी रखते हुये **वर्ष 2009–10 के बजट में मुंगेली एवं पाटन में नवीन आई.टी.आई. तथा गरियाबंद में नवीन पॉलीटेक्निक प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये 5 करोड़ का प्रावधान है।**

7.9 अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुये प्रसन्नता है कि **राज्य में शेष भवनविहीन 24 आई.टी.आई. के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है, जिनमें से 18 अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में स्थित है। इससे शतप्रतिशत आई.टी.आई. में भवन उपलब्ध हो जायेंगे।**

7.10 उच्च शिक्षा के विस्तार के लिये हमारी सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में 38 नये महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनमें से 30 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में है। इसी क्रम में वर्ष 2009–10 के बजट में सरगुजा के सिलफिली, जशपुर के तपकरा, बस्तर के बकावंद, दुर्ग के अहिवारा तथा रायपुर के लवन एवं गोबरा–नवापारा में 6 नवीन महाविद्यालय खोले जाएंगे।

स्वास्थ्य

8. अध्यक्ष महोदय, मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लिये हमें वर्ष 2015 तक शिशु मृत्यु दर में 50 प्रतिशत कमी करते हुये 30 प्रति हजार जन्म तक लाना होगा। यह लक्ष्य प्राप्ति कठिन अवश्य है, लेकिन विगत 5 वर्षों में प्राप्त सफलता के आधार पर हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये आशावान एवं दृढ़ संकल्पित हैं। इसी प्रकार मातृ मृत्यु की वर्तमान दर 379 प्रति 1 लाख प्रसव को 100 तक लाना होगा। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये स्वास्थ्य संबंधी अधोसंरचना तथा तकनीकी मानव संसाधन की कमी को दूर करने हेतु बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं।

8.1 प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। वर्ष 2006–07 तक हमने उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप बना लिये थे। इसके साथ–साथ स्वास्थ्य संबंधी अधोसंरचना की कमी की पूर्ति की दिशा में लगातार प्रयास किये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में सामुदायिक केन्द्र भवनों की शतप्रतिशत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों की 80 प्रतिशत की पूर्ति की गई है। **मुझे सदन को यह बताते हुये हर्ष है कि इस बजट में शेष 112 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण बाबत् 18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके फलस्वरूप प्रदेश के शतप्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन उपलब्ध हो जायेंगे।** प्रदेश के 38 प्रतिशत उप स्वास्थ्य केन्द्र अभी भी भवनविहीन है, जो कि हमारे लिये एक चुनौती है। इस बजट में 306 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिये 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है, **जिससे 68 प्रतिशत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन उपलब्ध हो जायेंगे। शेष भवनों की पूर्ति आगामी 3 वर्षों में की जायेगी।**

8.2 शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में कमी के लक्ष्य पूर्ति की दिशा में ए.एन.एम. तथा स्टॉफ नर्स की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस कमी की पूर्ति हेतु बजट में **रायपुर, कोरबा तथा दंतेवाड़ा में एएन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र तथा रायगढ़ में पुरूष स्वास्थ्य कर्मी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है।**

8.3 शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में संस्थागत प्रसव में हुई वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में संस्थागत प्रसव की प्रचलित दर मात्र 18 प्रतिशत है, जिसे 50 प्रतिशत किया जायेगा। इस दिशा में **पारम्परिक दाइयों को प्रशिक्षित कर संस्थागत प्रसव के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें भी मितानिन की तरह 200 रुपये प्रति संस्थागत प्रसव राशि दी जायेगी।** इसके अतिरिक्त संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुँचाना सुलभ बनाने हेतु **''महतारी एक्सप्रेस योजना''** प्रारम्भ की जायेगी।

8.4 वरिष्ठ नागरिकों के उपचार की विशेष सुविधा की दृष्टि से प्रदेश के तीनों **मेडिकल कॉलेजों तथा प्रत्येक जिला अस्पताल में वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एवं वार्ड की स्थापना की जायेगी।**

8.5 अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के बस्तर एवं सरगुजा संभाग में मलेरिया का प्रभाव सर्वाधिक है। विशेषकर जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर जिलों में मलेरिया का वार्षिक परजीवी सूचकांक सर्वाधिक 30 से लेकर 98 व्यक्ति प्रति हजार है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2 प्रति हजार से भी कम है। यह हमारे लिये एक विशेष चुनौती है। **इसकी रोकथाम हेतु वर्ष 2009–10 के बजट में ''यूरोपीय संघ के राज्य सहभागिता कार्यक्रम'' के अंतर्गत इन जिलों में सभी परिवारों को दवा उपचारित मच्छरदानियाँ वितरित की जायेगी, जिसके लिये 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

8.6 प्रदेश के महासमुंद एवं उससे लगे हुये 5 जिले कुष्ठ रोग से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इन जिलों में रोग के सर्वेक्षण तथा सघन उपचार के लिये ''यूरोपीय संघ के राज्य सहभागिता कार्यक्रम'' के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जाएगा।

8.7 प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा के सुधार हेतु प्रायोगिक तौर पर 25 गांवों में आयुर्वेद ग्राम योजना लागू की गई है। इसे विस्तारित करते हुये 121 ग्रामों में लागू करने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण

9. अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार हेतु विगत 5 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा 416 आश्रम शाला एवं 645 छात्रावास प्रारम्भ किये गये हैं। **इसी क्रम को जारी रखते हुये इस बजट में 11 नवीन आश्रम शाला तथा 20 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।**

9.1 अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में इन आश्रम शालाओं तथा छात्रावासों में 1 लाख 40 हजार छात्र अध्ययनरत् हैं, जिन्हें शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है। **चालू वित्तीय वर्ष में शिष्यवृत्ति की राशि 350 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 450 रुपये किया गया है। इस हेतु बजट में 50 करोड़ का प्रावधान है।**

9.2 चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में संचालित 200 उच्चतर माध्यमिक शालाओं में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किया गया है। **वर्ष 2009–10 में इसे शेष समस्त स्कूलों में प्रारम्भ किया जाएगा।**

9.3 छात्रा शाला त्याग दर में सुधार हेतु हमारी सरकार द्वारा हाई स्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति छात्राओं के लिये **''सरस्वती सायकल योजना''** प्रारम्भ की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष से हमने इस योजना का विस्तार

करते हुये बी.पी.एल. परिवार के सभी छात्राओं के लिये इसे लागू किया है। **62 हजार छात्राओं को सायकल प्रदान करने हेतु बजट में 26 करोड़ का प्रावधान है।**

9.4 अनुसूचित जाति/जनजाति के युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क नर्सिंग पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

9.5 आरक्षित संवर्ग के अभ्यार्थियों के सुविधा के लिये जगदलपुर तथा अंबिकापुर में जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जायेंगे।

9.6 **गुरू घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी में जैतखंभ का निर्माण कार्य वर्ष 2009–10 में पूर्ण हो जाएगा, जिसके लिये बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

9.7 विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश के **अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट कला–संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिये ''अनुसूचित जनजाति शोध केन्द्र'' की स्थापना की जाएगी।** इसके लिये बजट में 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

9.8 अनुसूचित जनजातियों की श्रद्धास्थली **''देवगुड़ी'' के विकास हेतु प्रचलित शासकीय अनुदान 10 हजार को बढ़ाकर 25 हजार किया जाएगा।**

9.9 अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्र के विकास के लिये गठित बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा–जशपुर विकास प्राधिकरण तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिये इस बजट में 105 करोड़ का प्रावधान है।

पेयजल

10. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिये एक व्यापक योजना क्रियान्वित की गई है। 250 व्यक्तियों पर एक हेंडपंप के राष्ट्रीय मापदंड की तुलना में हमने 88 व्यक्तियों पर एक हेंडपंप स्थापित किये हैं। अब पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। **प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु आवश्यक किट उपलब्ध कराई जाएगी तथा ग्राम पंचायतों में गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण दिये जाएंगे।**

10.1 प्रदेश के रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, कांकेर, बिलासपुर तथा बीजापुर जिलों के **34 सूखा प्रभावित विकासखंडों में जल स्तर के गिरने की समस्या को ध्यान में रखते हुये नवीन जल स्त्रोत विकसित करने बाबत् 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

10.2 अब तक प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 1600 नल जल योजना प्रारम्भ की गई है। **इस बजट में 200 नल जल योजना हेतु 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

10.3 प्रदेश के 110 नगरीय निकायों में से 59 में पेयजल योजना प्रारम्भ कर दी गई है, 41 में योजनायें प्रगति पर है तथा शेष 10 में योजना प्रारम्भ की जा रही है। **इस बजट में रायगढ़, गोरेला, सिमगा, तिफरा, सिरगिट्टी, सुकमा, कांकेर, जशपुर तथा गिरोदपुरी में जल आवर्धन योजना हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

महिला एवं बाल विकास

11. हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चों के एकीकृत विकास के लिये कृतसंकल्पित है एवं इस हेतु **बजट में 704 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट की तुलना में 78 प्रतिशत अधिक है।**

11.1 कुपोषण मुक्ति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में कुपोषण की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में ''यूनिसेफ'' की सहायता से **''न्यूट्रिशन सर्वेलेन्स कार्यक्रम''** प्रारम्भ किया गया था, जो कि मार्च, 2009 तक पूर्ण हो जाएगा। **वर्ष 2009–10 में हमारी सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कुपोषण मुक्ति अभियान प्रारम्भ किया जाएगा।**

11.2 हमारे सतत् प्रयासों से बच्चों के कुपोषण की दर 61 प्रतिशत से घटकर 52 प्रतिशत हो गई है। लेकिन 2015 तक मिलेनियम डेव्हलपमेंट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमें इस स्तर को 30 प्रतिशत तक लाना होगा। यह लक्ष्य कठिन अवश्य है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिये हम हरसंभव प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाओं तथा सामान्य बच्चों के लिये संचालित **''पूरक पोषण आहार कार्यक्रम'' की गुणवत्ता में सुधार के लिये निर्धारित दरों में शतप्रतिशत वृद्धि करते हुये चालू वित्तीय वर्ष के प्रावधान 200 करोड़ को बढ़ाकर 328 करोड़ किया गया है**। सामान्य बच्चों के लिये प्रति युनिट दर 2 रुपये के स्थान पर 4 रुपये, कुपोषित बच्चों के लिये 2.7 रुपये के स्थान पर 6 रुपये तथा गर्भवती महिलाओं के लिये 2.3 रुपये के स्थान पर 5 रुपये किया गया है।

11.3 चुनावी घोषणा के अनुरूप एकीकृत बाल विकास सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के लगभग **34 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकल प्रदान की जाएगी, जिसके लिये इस बजट में 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

11.4 बाल अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रदेश में ''बाल अधिकार संरक्षण आयोग'' का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों के समग्र विकास एवं उन्हें कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से **रायपुर में ''बाल भवन'' की स्थापना की जाएगी।**

समाज कल्याण

12. निःशक्तजनों के सर्वांगीण विकास हेतु हमारी सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये गये हैं। इसी क्रम में वर्ष 2009–10 में श्रवणबाधित बालक–बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षण–प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा में तथा दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं के लिये जशपुर में आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किया जाएगा।

12.1 स्वेच्छिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मानदेय बाबत् 5 हजार की सीमा तक का अनुदान दिया जाएगा।

12.2 किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कांकेर में बालिकाओं के लिये नवीन बालगृह की स्थापना की जाएगी।

कृषि

13. माननीय सदस्यों को यह जानकर संतुष्टि होगी कि दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश के सकल घरेलू कृषि उत्पादन वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तीन गुनी रही। हमारा प्रदेश धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। **अध्यक्ष महोदय, धान के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु चुनाव घोषणा के अनुरूप समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर किसानों को 270 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में इस हेतु 440 करोड़ का बजट प्रावधान है तथा शेष 400 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है**। इससे प्रदेश के 8 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

13.1 इस बजट में **कृषि विकास के लिये 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो चालू वित्तीय वर्ष के बजट की तुलना में 64 प्रतिशत अधिक है।**

13.2 कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से **''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'' के वर्तमान बजट प्रावधान 58 करोड़ को बढ़ाकर 181 करोड़ किया गया है**। इस योजना के अंतर्गत बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना की जाएगी। **प्रमाणित बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों को दी जा रही अनुदान राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की जाएगी**। सहकारी समितियों में उर्वरक के भंडारण के पर्याप्त व्यवस्था हेतु 200 नये गोदाम निर्माण तथा बिलासपुर में उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय में बहुउद्देशीय कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी। सुनिश्चित सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की प्रमुख नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में 2 हजार शेलो ट्यूबवेल स्थापित किये जाएंगे। पशु चिकित्सा सुविधा संबंधी अधोसंरचना की कमी को दूर करने के लिये 50 पशु चिकित्सालय भवन निर्माण बाबत् प्रावधान किया गया है। मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 10 बीज उत्पादन तालाब निर्माण किये जाएंगे।

13.3 विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप **दुग्ध उत्पादकों को 1.50 रुपये प्रति लीटर की दर से परिवहन अनुदान दिया जाएगा**, जिसके लिये डेढ़ करोड़ का प्रावधान है। इसी प्रकार **गन्ना उत्पादन प्रोत्साहन राशि को 15 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति क्विंटल की जाएगी।**

13.4 अध्यक्ष महोदय, विधानसभा चुनाव के दौरान हमने कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 हार्स पॉवर तक के कृषि पंपों को विद्युत शुल्क से मुक्त रखने की घोषणा की थी। **मुझे सदन को यह बताते हुये खुशी हो रही है कि प्रदेश के कृषकों के लिये यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिस हेतु इस बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

सहकारिता

14. विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के **कृषि से संबद्ध सहयोगी क्षेत्र जैसे – पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी के लिये 3 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी**, जिसके लिए इस बजट में 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

14.1 चालू वित्तीय वर्ष से हमारी सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों के अतिरिक्त **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भी किसानों को यह ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन ऋणों पर भी उपर्युक्त ब्याज अनुदान योजना लागू की जाएगी**। इससे लगभग डेढ़ लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

14.2 वर्तमान में कवर्धा स्थित भोरमदेव शक्कर कारखाना में उत्पादन चालू है। मुझे सदन को यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि **वर्ष 2009–10 से बालोद तथा अंबिकापुर में शक्कर कारखानों में उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा**। इस हेतु बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सिंचाई

15. विगत 5 वर्षों में 3.08 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है एवं **इसके साथ–साथ सिंचाई का प्रतिशत 30.8 प्रतिशत हो गया है, जबकि राज्य गठन के समय यह मात्र 23 प्रतिशत था। वर्ष 2009–10 में सिंचाई हेतु 1154 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो चालू वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।**

15.1 राज्य में उपलब्ध सतही जल के अधिकतम उपयोग हेतु 595 एनीकट निर्माण की कार्ययोजना बनाई गई है, जिनमें से 61 एनीकट पूर्ण हो चुके हैं तथा 153 निर्माणाधीन हैं। इसी कड़ी में **वर्ष 2009–10 के बजट में 156 एनीकट तथा 27 लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिये 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

15.2 केलो वृहद परियोजना हेतु इस बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

<u>वन</u>

16. प्रदेश के सुदूर अंचल में निवासरत अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिये तेंदूपत्ता संग्रहण आजीविका का एक साधन है। उन्हें अधिक से अधिक संग्रहण दर दिलाने हेतु हमारी सरकार प्रयत्नशील रही है। वर्ष 2007 में हमने तेंदूपत्ता संग्रहण की प्रचलित दर 450 प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 500 रुपये किया था, जिसे 2008 में बढ़ाकर 600 रुपये किया गया। **माननीय सदस्यों को यह बताते हुये मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष 2009 में यह दर 600 से बढ़ाकर 650 रुपये प्रति मानक बोरा किया जाएगा।**

16.1 अध्यक्ष महोदय, 4 वर्ष पहले हमारी सरकार द्वारा लाख विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया था। सदन को मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल नंबर पर है। **अब लाख उत्पादन में वृद्धि के साथ उसका प्रसंस्करण भी किया जाएगा ताकि उससे जुड़े अनुसूचित जनजाति परिवारों को अधिक अर्थोपार्जन हो सके। इस हेतु बजट में ढाई करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

16.2 बिगड़े वनों तथा बिगड़े बांस वनों के सुधार हेतु बजट में 84 करोड़ का प्रावधान है।

लोक निर्माण

17. विगत वर्षों में सड़क संबंधी अधोसंरचना के क्रम को जारी रखते हुये इस बजट में जिला मुख्य सड़क तथा राज्य मार्गों की 89 सड़कें, 40 पुल तथा 1 रेल्वे पुल के नवीन निर्माण हेतु 174 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य की सड़कों के मरम्मत के लिये 330 करोड़, भवन मरम्मत के लिये 138 करोड़, सड़क एवं पुल हेतु 1075 करोड़ तथा भवन निर्माण हेतु 364 करोड़ प्रावधान किया गया है। **वर्ष 2009–10 हेतु कुल 2108 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

18. राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिये संचालित नवा अंजोर परियोजना में अब तक 20 हजार समूहों का गठन कर 1 लाख 10 हजार परिवारों को लाभान्वित किया गया है। **योजना की अवधि 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रही है, जिसमें 1 वर्ष की वृद्धि की जाएगी एवं बजट में इस बाबत् 140 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

18.1 ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचना विकास के लिये ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना, ग्राम उत्कर्ष योजना तथा छत्तीसगढ़ गौरव योजना चलाई जा रही है। **इन योजनाओं हेतु 93 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

18.2 **''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी''** योजना के अंतर्गत प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य हुये हैं। अब तक 33 लाख परिवारों को रोजगार कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। **इस योजना के लिये राज्यांश के रूप में बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

18.3 मैदानी स्तर पर संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी केन्द्र प्रवर्तित तथा राज्य योजनाओं हेतु प्रायोगिक तौर पर राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़ एवं जशपुर में **विकेन्द्रीकृत योजना प्रणाली के अंतर्गत जिला योजना तैयार की गई है। वर्ष 2009–10 में यह प्रक्रिया प्रदेश के सभी जिलों के लिये लागू की जाएगी।**

18.4 यू.एन.डी.पी. तथा योजना आयोग के सहयोग से प्रदेश के राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, कोरबा, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरिया एवं जशपुर जिलों के लिये पहली बार ''**जिला मानव संसाधन प्रतिवेदन**'' बनाया जा रहा है। इस प्रतिवेदन से जिलों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका की वास्तविक स्थिति सामने आएगी, जो कि जिला योजना बनाने में सहायक होगी।

<u>नगरीय प्रशासन एवं विकास</u>

19. चालू वित्तीय वर्ष में **प्रदेश के 51 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है तथा नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचना विकास हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है**। इसके अतिरिक्त विशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 49 करोड़ का प्रावधान है।

19.1 **''जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन''** के अंतर्गत रायपुर शहर की विभिन्न विकास योजनाओं हेतु बजट 21 करोड़ का राज्यांश बाबत् प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लघु तथा मध्यम नगरीय निकायों की एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत 12 करोड़ राज्यांश का प्रावधान किया गया है।

19.2 शहरी गरीबों के लिये आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित **''आई.एच.एस.डी.पी.''** योजना के राज्यांश बाबत् 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक विकास

20. हमारी सरकार ने संतुलित औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। वर्ष 2004 में नवीन औद्योगिक नीति लागू होने के पश्चात् विगत 5 वर्षों में 93 मध्यम एवं वृहद तथा 3648 लघु उद्योग स्थापित हुये हैं, जिनमें 84,500 करोड़ का निवेश हुआ।

20.1 **भिलाई तथा राजनांदगांव में नवीन अपरेल ट्रेनिंग एवं डिजाईन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसके लिये बजट में 2 करोड़ का प्रावधान है।**

ऊर्जा

21. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 2012 तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी आवासों तक विद्युत उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत 11 जिलों के लिये योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं तथा 6 जिलों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। **इस बजट में योजना के राज्यांश बाबत् 46 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

21.1 **विगत 3 वर्षों में 270 करोड़ की लागत से प्रदेश में 1 लाख कृषि पंपों का ऊर्जीकरण किया गया है**, जो कि हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

संस्कृति एवं पर्यटन

22. पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विकास कार्यों के लिये 32 करोड़, मोटल्स निर्माण के लिये 10 करोड़ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के राज्यांश राशि हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।

22.1 पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु निजी पूंजीनिवेश को आकर्षित करने के लिये पर्यटन प्रोत्साहन योजना लागू की है।

22.2 प्रदेश में विभिन्न उत्सव, प्रदर्शनी एवं समारोह आयोजित करने हेतु 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

22.3 पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थल सिरपुर को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

खेल एवं युवक कल्याण

23. राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये तथा ग्रामीण अंचलों में खेलों का संगठित कार्यक्रम संचालित करने के लिये **वर्ष 2009–10 से पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान संचालित की जाएगी।** इस योजना में प्रति वर्ष राज्य के 10 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तथा 10 प्रतिशत जनपद पंचायतों में खेल मैदानों को विकसित किया जाएगा तथा खेलों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा। **इस हेतु 17 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।**

राजस्व

24. खरीफ फसल के अनावरी के आधार पर प्रदेश के **8 जिलों की 34 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु बजट में 186 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

पुलिस एवं जेल प्रशासन

25. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिये दृढ़ संकल्पित है। **पुलिस प्रशासन हेतु इस बजट में 941 करोड़ का प्रावधान है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है।**

25.1 विगत 5 वर्षों में लगभग 20 हजार अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत किये गये हैं। इस समस्या से निपटने के लिये पुलिस बलों का प्रशिक्षण हमारी प्राथमिकता है एवं इसी उद्देश्य से कांकेर स्थित जंगल वारफेयर कॉलेज के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

25.2 नक्सली क्षेत्र में पुलिस प्रशासन संबंधी अधोसंरचना विकास के लिये एक **पॉयोनियर कंपनी** का गठन किया गया है। **दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिलों में अधोसंरचना विकास संबंधी निर्माण कार्यों में 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

25.3 इस बजट में राजनांदगांव के खड़गांव, कबीरधाम के तरेगांव जंगल, बीजापुर के पीलुर, केरपे, सेन्ड्रा, तरेन में पुलिस थाना तथा जगदलपुर के घोटिया, राजनांदगांव के सीतागांव, ककनार तथा खड़गवाँ में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना हेतु 28 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

25.4 **केन्द्रीय जेल, दुर्ग तथा उप जेल, सूरजपुर में विडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा स्थापित की जाएगी।**

न्याय प्रशासन

26. त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु कांकेर, महासमुंद एवं धमतरी में कुटुम्ब न्यायालय प्रारम्भ किये जाएंगे।

परफार्मेंस बजट

27. वर्ष 2007–08 में आयोजनागत योजनाओं हेतु परिणामी बजट प्रस्तुत किया गया था। इस आधार पर विभिन्न विभागों के परफार्मेंस बजट इस वर्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्ष 2008–09 के आयोजनागत योजनाओं हेतु परिणामी बजट का परफार्मेंस वर्ष 2009–10 में प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्ष 2008–09 का पुनरीक्षित अनुमान

28. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

28.1 वर्ष 2008–09 में शुद्ध व्यय 18,285.80 करोड़ अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 19,746.34 करोड़ संभावित है। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के कृषकों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर दिये जाने वाले बोनस तथा राज्य शासन के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अंतरिम राहत भुगतान हेतु अतिरिक्त प्रावधान के कारण है।

28.2 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 15,656.16 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 16,777.82 करोड़ है। राजस्व प्राप्ति में यह वृद्धि मुख्यतः करेत्तर राजस्व के वृद्धि, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा तथा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन प्राप्ति के कारण है।

28.3 **वर्ष 2008–09 के बजट में अनुमानित राजस्व आधिक्य 1,777.54 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1,048.62 करोड़ है।** इस कमी का मुख्य कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्ति में अपेक्षित वृद्धि

नहीं होना तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि होना है। बजट में सकल वित्तीय घाटा का अनुमान 1,911.67 करोड़ था, जो पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 2,255.83 करोड़ अनुमानित है। पुनरीक्षित अनुमान में सकल वित्तीय घाटा, सकल घरेलु उत्पाद का 2.78 प्रतिशत है, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है।

वर्ष 2009–10 का बजट अनुमान

29. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2009–10 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ :–

29.1 वर्ष 2009–10 के लिये अनुमानित शुद्ध व्यय 22,211.10 करोड़ है, जिसमें आयोजना व्यय 12,172.13 करोड़ तथा आयोजनेत्तर व्यय 10,038.97 करोड़ है। **वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में शुद्ध व्यय 2,464.76 करोड़ अर्थात् 12.50 प्रतिशत अधिक है।**

29.2 पूंजीगत व्यय राज्य के विकास का सूचक है। वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमान 3,465.36 करोड़ की तुलना में इस बजट में 3,569.23 करोड़ अनुमानित की गयी है। **पूंजीगत व्यय सकल घरेलु उत्पाद का 4.15 प्रतिशत तथा कुल व्यय का 16 प्रतिशत अनुमानित है।**

29.3 गत वर्षों में हमारा प्रयास रहा है कि राज्य में विकास की गति तीव्र हो। इस हेतु बजट में **आयोजना व्यय के लिये 12,172.13 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 13.40 प्रतिशत अधिक है। आयोजना व्यय कुल व्यय का 55 प्रतिशत है।**

29.4 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमान 9,012.66 करोड़ की तुलना में वर्ष 2009–10 में 10,038.97 करोड़ अनुमानित है। इसमें वेतन भत्ते हेतु 4,161.28 करोड़, पेंशन हेतु 919.62 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 1,079.02 करोड़, विभिन्न योजनाओं हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 188.07 करोड़ तथा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान हेतु 1,733.36 करोड़ शामिल है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप वेतन भत्ते मद में अनुमानित अतिरिक्त राशि के प्रावधान के कारण है। ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात को गत वर्ष के 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत पर सीमित किया गया है।

29.5 **राज्य आयोजना व्यय में वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमान 9,638.48 करोड़ की तुलना में 13.58 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 10,947.03 करोड़ अनुमानित की गई है**, जिसमें केन्द्रीय सहायता 2,092 करोड़ तथा शेष 8,568.36 करोड़ राज्य संसाधन से उपलब्ध करवाया जाएगा। **राज्य आयोजना का 80 प्रतिशत स्वयं के संसाधन से पोषित है, जो कि चालू वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है।**

29.6 राज्य आयोजना में सामान्य क्षेत्र के लिये 55 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिये 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये 12 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

29.7 बजट में राज्य के आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र के विकास का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। **वर्ष 2009–10 हेतु सामाजिक क्षेत्र में कुल व्यय का 45 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है**, जिसमें मुख्यतः खाद्यान्न सुरक्षा हेतु 6.5 प्रतिशत, शिक्षा हेतु 16 प्रतिशत, स्वास्थ्य हेतु 4 प्रतिशत, अनुसूचित जाति–जनजाति विकास हेतु 5 प्रतिशत, महिला एवं बाल विकास हेतु 4.5 प्रतिशत तथा पेयजल हेतु 2 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

29.8 **आर्थिक क्षेत्र के लिये वर्ष 2009–10 में बजट प्रावधान कुल व्यय का 32 प्रतिशत है।** इसमें मुख्य रूप से कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र हेतु 10 प्रतिशत, लोक निर्माण के कार्यों हेतु 8 प्रतिशत, सिंचाई हेतु 5 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास हेतु 6 प्रतिशत शामिल है।

29.9 **वर्ष 2009–10 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 18,897.22 करोड़ अनुमानित है, जो कि पुनरीक्षित अनुमान 2008–09 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।** राज्य का कर राजस्व, सकल घरेलु उत्पाद का लगभग 8.17 प्रतिशत है। राज्य के स्वयं के राजस्व में पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गयी है, जिसमें कर राजस्व में 11 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 36 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। केन्द्र सरकार से प्राप्तियां पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 691 करोड़ अधिक अनुमानित की गयी है।

राजकोषीय स्थिति

30. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वयं के राजस्व में गत वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन्हीं प्रयासों के कारण गत वर्षों के समान **इस बजट में भी 806.16 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है।**

30.1 **राज्य का सकल वित्तीय घाटा 2,564.48 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि सकल घरेलु उत्पाद का 3 प्रतिशत है।** अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुये अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विकासोन्मुखी व्यय में लगातार वृद्धि के बावजूद गत वर्षों में सकल वित्तीय घाटा, ''राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम'' में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रहा है तथा इस बजट में भी इसे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रखने में हम सफल रहे हैं।

30.2 वर्ष 2009–10 हेतु कुल प्राप्तियाँ 21,924.43 करोड़ तथा कुल व्यय 22,211.10 करोड़ अनुमानित किया गया है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप **286.67 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। वर्ष 2008–09 के संभावित घाटा 898.56 करोड़ को शामिल करते हुये वर्ष 2009–10 का कुल बजटीय घाटा 1185.23 करोड़ अनुमानित है**। इस घाटे की पूर्ति वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर की जावेगी।

भाग – 2

31. अध्यक्ष महोदय, कर राजस्व की वृद्धि के लिये हमारी सरकार की रणनीति कर की दरों में युक्तियुक्तकरण करना, कर प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी बनाना एवं कर प्रशासन को चुस्त बनाना रही है। हमारे इन प्रयासों से न केवल प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार को भी बढ़ावा मिला है। हमारी यही रणनीति आगे भी जारी रहेगी।

32. अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष माह जून में केन्द्र सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस के दामों में वृद्धि की जाकर राज्य सरकारों से कर की दर में कमी करने का अनुरोध किया गया था। प्रदेश की जनता के व्यापक हित को देखते हुये हमारे द्वारा डीजल एवं पेट्रोल पर कर की दर में 3 प्रतिशत की कमी की गई थी तथा रसोई गैस को वेट कर से मुक्त कर आम जनता को राहत पहुंचाई गई थी।

33. अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार द्वारा विगत वर्षों की तरह इस बजट में भी कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है, और न ही कर की दर में कोई बढ़ोतरी की जा रही है।

34. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की आम जनता, व्यापार एवं उद्योग जगत के हित में निम्नानुसार राहत प्रस्तावित करता हूँ :–

वृत्ति कर

35. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में वेतनभोगियों को वृत्तिकर से पूर्णतः मुक्त कर अपना संकल्प पूरा किया गया है। वर्तमान में 5 लाख से 10 लाख तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी को 1200 रुपये वार्षिक वृत्ति कर देना होता है, जबकि वेट अधिनियम में 10 लाख वार्षिक टर्नओवर तक

के व्यापारी पर कर दायित्व नहीं आता है। **इस व्यवस्था में युक्तियुक्तकरण करते हुये 10 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को भी वृत्ति कर के दायित्व से पूर्णतः मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इस छूट से लगभग 10 हजार छोटे व्यापारी लाभान्वित होंगे।**

<u>वेट</u>

36. प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने तथा स्थानीय महत्व की वस्तुओं पर मैं निम्नानुसार राहत प्रस्तावित करता हूँ :–

- **सेवई पर प्रचलित वेट दर 4 प्रतिशत के स्थान पर इसे करमुक्त किया जाएगा।**

- चालू वित्तीय वर्ष में प्लाईवुड पर देय वेट दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है। इसी अनुक्रम में **लेमिनेट्स पर भी प्रचलित कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।**

37. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य को बायोफ्यूल उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का हमारा प्रयास रहा है। **प्रदेश में बायोफ्यूल के उत्पादन एवं उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिये मैं इसे वेट कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।**

38. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें अन्य राज्यों के उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये हमारे द्वारा पूर्व में भी अनेक रियायतें दी गई हैं। इसी अनुक्रम में तथा वर्तमान में व्याप्त आर्थिक मंदी से प्रदेश के उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिये मैं निम्नानुसार रियायतें प्रस्तावित करता हूँ :–

- **भवन निर्माण में उपयोग में आने वाले छत्तीसगढ़ में उत्पादित स्टील फेब्रिकेटेड उत्पाद पर प्रचलित कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।**

- **छत्तीसगढ़ में उत्पादित मोटर वाहन की बॉडीज् तथा ट्रेलर्स पर प्रचलित कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी।**

- **लघु औद्योगिक इकाईयों को आर्थिक मंदी से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उन्हें मासिक कर के स्थान पर त्रैमासिक कर भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी।**

- **अगरबत्ती निर्माण में लगने वाले माल पर देय प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा।**

39. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सीमाओं पर कर अपवंचन की रोकथाम के लिये वाणिज्यिक कर विभाग की जाँच चौकियाँ स्थापित हैं। राज्य के भीतर आने वाले तथा राज्य से बाहर जाने वाले मालों के लिये जाँच चौकियों पर प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र से हमारी सरकार द्वारा पहले ही छूट दी जा चुकी है, किन्तु राज्य के बाहर से आकर राज्य के बाहर जाने वाले मालों के लिये घोषणा पत्र प्ररूप–69 अभी भी लागू है। वर्तमान व्यवस्था अनुसार यह घोषणा पत्र जाँच चौकी से प्राप्त कर वहीं भरकर देना पड़ता है, जिसमें समय लगता है एवं ट्रांसपोर्टर को भी असुविधा होती है और यातायात भी प्रभावित होता है। अतः ऐसे **आउट टू आउट वाहनों के लिये जाँच चौकी में घोषणा पत्र लेकर भरने संबंधी प्रचलित व्यवस्था को समाप्त किया जाकर प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।**

पंजीयन

40. **अचल संपत्ति के पंजीयन पर स्टॉम्प शुल्क की प्रचलित दरों पर आधा प्रतिशत की कमी की जाकर जनता को राहत पहुंचाई जाएगी।**

41. अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्राथमिकतायें तय की हैं, उन पर अमल करना एक चुनौती है। संसाधनों की अपनी सीमायें हैं। लेकिन वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रखर रणनीति के द्वारा इसका सामना किया जाएगा। परिणाममूलक समयबद्ध कार्यक्रम तय किये जाएंगे। जिम्मेदारी और जवाबदेही निश्चित की जाएगी। सादगी से लोक कल्याण हमारा मूल मंत्र होगा।

42. विपक्ष से मेरा आग्रह है कि कुछ मुद्दों पर हममें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिये। जिस जनता ने चुनकर हमें यहाँ भेजा है, उसने कुछ सपने संजोए हैं। आईये हम भी एक बड़ा स्वप्न देखें। मैं समझता हूँ आप सबका भी एक सपना हो सकता है कि छत्तीसगढ़ भारत का सिरमौर राज्य बने। इसे साकार करना कठिन अवश्य है, परन्तु असंभव कतई नहीं। क्योंकि जहां चाह होती है, वहां राह निकल आती है।

43. अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संबोधन का समापन इस पंक्ति के साथ करना चाहूँगा।

''बहुतेरे ख्वाब हैं जो नींद में आते हैं,
एक ख्वाब वो है जो हमें सोने नहीं देता।''

इसके साथ ही मैं वर्ष 2009–10 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।